11/12/2025 पत्रावली पेश हुई। वकी. उप./ वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक वचनामा डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई

व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 मुखत्यारी बनाम राकेश बगै0

दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 08/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व ....

मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नम्बरान 319 रकवा 0.22 व 320 रकवा 0.22 व 321 रकवा 0.22 व 504 रकवा 0.17 व 507 रकवा 0.18 व 570 रकवा 0.55 व 583 रकवा 0.28 व 598 रकवा 0.20 किता 8 कुल रकवा 2.04 हैक्टे. हिस्सा 1/8 वाके ग्राम राससीस तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व उनके पिता/पति के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादिनी को मुताबिक वयनामा दिनांक 28.07.2006 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं अन्य वाद पत्र सीताराम बनाम कुंवर सिंह बगै0 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए का पुनः पृथक से वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिकी जारी हो।

बेज – मुबलिग ———— बावत ———————— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख........11/12/2025........ को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. मुख्त्यारी देवा भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. राकेश पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
2. राजेश पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
3. रामवती देवा अतरसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

—असल प्रतिवादीगण

5. कुमरसिंह पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
6. दौजी पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
7. सीताराम पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
8. नाहर सिंह पिस0 कलुआ जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
9. महाराज सिंह पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
10. वेदप्रकाश पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
11. बनैसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
12. धर्मवीर पिस0 भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
13. रामवीर पिस0 भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
14. हरवीर पिस0 भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
15. प्रतिमा पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
16. दिव्यांशु पुत्र राजेन्द्र नाबालिग वली माता खुद प्रतिमा पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
17. शान्ति पत्नि छिद्दी जाति जाट निवासी ग्राम रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 08/2022

जीसीएमएस न. 2022/31

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक ....11|12|2025

1. मुखत्यारी वेवा भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. राकेश पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
2. राजेश पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
3. रामवती वेवा अतरसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई (भरतपुर)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

—असल प्रतिवादीगण

5. कुमरसिंह पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
6. दौजी पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
7. सीताराम पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
8. नाहर सिह पिस0 कलुआ जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
9. महाराज सिंह पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
10. वेदप्रकाश पिस0 रामसिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
11. बनैसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
12. धर्मवीर पिस0 भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
13. रामवीर पिस0 भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
14. हरवीर पिस0 भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
15. प्रतिभा पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
16. दिव्यांशु पुत्र राजेन्द्र नाबालिग वली माता खुद प्रतिभा पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी रायसीस तह0 नदबई।
17. शान्ति पत्नि छिद्दी जाति जाट निवासी ग्राम रायसीस तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—तरतीवी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

उपस्थित श्री फूल सिंह एड0(वादीगण)

श्री श्याम सिंह डागुर एड0 (तर0 प्रति0 सं0 07)

श्री सुरेश माहुरे एड0 (तर0 प्रति0 सं0 5,6,8 लगायत 10 की ओर से)

:: निर्णय :: दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह है कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण में से सिवाय प्रतिवादी संख्या 16 के, जो नाबालिग है जो अपनी माता की बली सरपरस्ती में है के सिवाय सभी वालिग व स्वस्थ चित्त है।
2. यह कि बंदोवस्ती संवत 2060 के आराजी खसरा नम्बरान 319 रकवा 0.22 व 320 रकवा 0.22 व 321 रकवा 0.22 व 504 रकवा 0.17 व 507 रकवा 0.18 व 570 रकवा 0.55 व 583 रकवा 0.28 व 598 रकवा 0.20 किता 8 कुल रकवा 2.04 हैक्टे. वाके ग्राम राससीस जिसके हिस्सा 1/8 के सहकाश्तकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता /पति स्व. अतरसिंह पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थे। जिसने दिनांक 20.07.2006 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादिनी के हक में तहरीर कर तस्दीक व रूबरू सबरजिस्ट्रार नदबई के समक्ष करा दिया गया था तथा उक्त वयनामा के आधार पर दिनांक 5.5.2007 को नामान्तरण संख्या 361 वादिनी के हक में दर्ज किया जा चुका था। लेकिन संबधित जमाबंदी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 के पिता/पति के स्थान पर वादिनी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अमल सहवन से दर्ज नहीं हो पाया लिहाजा वादनी उक्त वयनामा के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति व उनके स्थान पर उक्त आराजी वर्णित पर हिस्सा 1/8 की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारनी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके पिता/पति के नाम हो रहे इन्द्राजात हिस्सा 1/8 कलमजन करा पाने के अधिकारिणी है। लिहाजा वादपत्र वादिनी प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह है कि आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके ग्राम रायसीस हिस्सा 1/8 पर काबिज हो काश्त करती चली आ रही है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति अतरसिंह के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात हिस्सा 1/8 के आधार पर उन्होंने वादिनी को दिनांक 22.01.2001 को आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके ग्राम रायसीस हिस्सा 1/8 से बेदखल करने व प्रतिवादी संख्या 4 की सहायता से रहन वयमुन्तकिल करने की धमकी दी है।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र वादिनी खिलाफ असल प्रति निम्न प्रकार है कि:–

(अ) आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र किता 08 कुल रकवा 2.04 हैक्टे. हिस्सा 1/8 वाके ग्राम रायसीस तहसील नदबई पर वादिनी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व उनके पिता/पति के स्थान पर मुताबिक वयनामा दिनांक 28.07.2006 खातेदार काश्तकार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

तथा वर्तमान इन्द्राजात व हक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व उनके पिता/पति अतरसिंह के
हो रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

) यह है कि आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके रायसीस हिस्सा 1/8 से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त आराजी के हिस्से में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमद न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री श्याम सिंह डागुर एड0 एवं तर0 प्रतिवादी संख्या 5,6, 8 लगायत 10 की ओर से श्री सुरेश एडवो0 उपस्थित हुए। तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 17 को तर्क किया जा चुका है। असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से कोई भी पक्षकारान न्यायालय हाजा उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 323 वाके ग्राम रायसीस (प्रदर्श–1), नकल जमाबंदी (प्रदर्श–02), नकल फोटोप्रति वयनामा दिनांक 26.07.2006 (प्रदर्श–03), नकल फोटोप्रति नामान्तरण संख्या 361 वाके ग्राम रायसीस एवं मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र मुखत्यारी वेवा भगवान सिंह जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई के पेश किये गये।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है। वादी वकील का कहना है कि बंदोवस्ती संवत 2060 के आराजी खसरा नम्बरान 319 रकवा 0.22 व 320 रकवा 0.22 व 321 रकवा 0.22 व 504 रकवा 0.17 व 507 रकवा 0.18 व 570 रकवा 0.55 व 583 रकवा 0.28 व 598 रकवा 0.20 किता 8 कुल रकवा 2.04 हैक्टे. वाके ग्राम राससीस तहसील नदबई में स्थित है। जिसके हिस्सा 1/8 के सहकाश्तकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता /पति स्व. अतरसिंह पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थे। जिसने दिनांक 20.07.2006 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादिनी के हक में तहरीर कर तस्दीक व रूबरू सबरजिस्ट्रार नदबई के समक्ष करा दिया गया था तथा उक्त वयनामा के आधार पर दिनांक 5.5.2007 को नामान्तरण संख्या 361 वादिनी के हक में दर्ज किया जा चुका था। लेकिन संबधित जमाबंदी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगयात 3 के पिता/पति के स्थान पर वादिनी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अमल सहवन से दर्ज नहीं हो पाया लिहाजा वादनी उक्त वयनामा के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति व उनके स्थान पर उक्त आराजी वर्णित पर हिस्सा 1/8 की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारनी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व उनके पिता/पति के नाम हो रहे इन्द्राजात हिस्सा 1/8 कलमजन करा पाने के अधिकारिणी है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक वयनामा वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

हमने बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 319 रकवा 0.22 व 320 रकवा 0.22 व 321 रकवा 0.22 व 504 रकवा 0.17 व 507 रकवा 0.18 व 570 रकवा 0.55 व 583 रकवा 0.28 व 598 रकवा 0.20 किता 8 कुल रकवा 2.04 हैक्टे. वाके ग्राम राससीस तहसील नदबई में स्थित है। जिसके हिस्सा 1/8 के सहकाश्तकार विकेता अतर सिंह पुत्र कल्याण सिंह ने वादिनी केता के हक में दिनांक 20.07.2006 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तस्दीक कर दिया गया (प्रदर्श–03)। तथा उक्त वयनामा के आधार पर दिनांक 5.5.2007 को नामान्तरण संख्या 361 वादिनी के हक में दर्ज किया जा चुका था (प्रदर्श–04)। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता अतरसिंह से उक्त विवादित आराजीयात हिस्सा 1/8 का हस्तान्तरण जरिये वयनामा वादिनी के हक में किया है जो कि सहवन से वादिनी के हक में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका है। इसके अलावा वादीगण के मौखिक बयान से भी वादीगण का वादपत्र सिद्ध करने की ताहिद करता है एवं उक्त वादपत्र के अलावा एक अन्य वादपत्र मुकदमा उनवानी सीताराम बनाम कुंवर सिंह बगैरा मुकदमा संख्या 57/2020 जो कि अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया, जो इसी आराजीयात बाबत् विचाराधीन था जो कि खातेदारी घोषणा के वादपत्र के साथ कन्सोलिडेट किया गया क्योंकि जब तक खातेदारी घोषणा का निस्तारण नहीं किया जा सकता तब तक विभाजन नहीं हो सकता । अतः विभाजन के वादपत्र खातेदारी घोषणा के पश्चात रिकॉर्ड में अमल होने के उपरान्त ही विभाजन सही रूप से हो सके। विभाजन का वादपत्र पक्षकारान अलग से पुनः पेश कर अपनी अलग–अलग खातेदारी कराने हेतु स्वतंत्र रहेंगें। अतः खातेदारी घोषणा का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है विवादित आराजी खसरा नम्बरान 319 रकवा 0.22 व 320 रकवा 0.22 व 321 रकवा 0.22 व 504 रकवा 0.17 व 507 रकवा 0.18 व 570 रकवा 0.55 व 583 रकवा 0.28 व 598 रकवा 0.20 किता 8 कुल रकवा 2.04 हैक्टे. हिस्सा 1/8 वाके ग्राम राससीस तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व उनके पिता/पति के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर वादिनी को मुताबिक वयनामा दिनांक 28.07.2006 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं अन्य वाद पत्र सीताराम बनाम कुंवर सिंह बगै0 अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीए का पुनः पृथक से वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव) RAS
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)